रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

SS
17.1.72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 22, 1971/आश्विन 30, 1893

No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 1971/ASVINA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October 1971

S.O. 4035.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government, being of opinion that strikes in any service connected with the supply of electrical energy to the public in the State of West Bengal or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply [not being any such service falling under sub-clause (viii) of clause (a) aforesaid] would result in the infliction of grave hardship on the community, hereby declares every such service to be an essential service for the purposes of the said Act.

[No. EL.II. 17(128)|71.]

S. N. VINZE, Jt. Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4035.–आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 2 की उपधारा (1) खंण्ड (क) उपखंण्ड (ix) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, जिसकी यह राय है कि पश्चिमी बंगाल राज्य में जनता को विद्युत उर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजनार्थ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, भंडारकरण या पारेषण संबंधित ऐसी किसी सेवा में [जो पूर्वोक्त खंण्ड (क) उपखण्ड (viii) के अधीन आने वाली सेवा न हो] हड़तालों के परिणामस्वरूप समुदाय को गंभीर कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हुए ऐसी सेवा को, एतद्द्वारा [आवश्यक सेवा घोषित करती है।

[सं० ई एल० दो 17 (128)/71[

श्री० ना० विंझे, संयुक्त सचिव।

ORDER

New Delhi, the 22nd October 1971

S.O. 4036.—Whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to make the following order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby prohibits strikes in any service in the State of West Bengal connected with the supply of electrical energy to the public or with the generation, storage or transmission of electrical energy for the purpose of such supply, which has been declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power, S.O. 4035, dated the 22nd October, 1971, to be an essential service for the purposes of the said Act or which falls under sub-clause (viii) of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of said Act.

[No. EL.II.17(128)/71.]

By order and in the name of the President.
S. N. VINZE, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1971

का० आ० 4036.—यतः केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में निम्नलिखित आदेश करना आवश्यक है :

अतः अब आवश्यक सेवाएं बनाए रखने का अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा पश्चिमी

बंगाल राज्य में ऐसी किसी सेवा में हड़तालों का प्रतिषेध करती है जो जनता को विद्युत् ऊर्जा के प्रदाय से या ऐसे प्रदाय के प्रयोजनार्थ विद्युत् ऊर्जा के उत्पादन, भंडारकरण या पारेषण से संबंधित है जो भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 4035 तारीख अक्तूबर 22, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सेवा घोषित की जा चुकी है या जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंण्ड (क) के उपखण्ड (viii) के अधीन आती है।

[सं० ई० एल० वी० 17 (128)/71]

राष्ट्रपति के नाम में और उनके आदेश से ।

श्री० ना० विश्वे, संयुक्त सचिव, ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971